संख्या:35/2018/3796/77-6-18-5(बजट)/17

प्रेषक,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 01 नवम्बर, 2018

विषयः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 1,25,13,31,991.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप के पत्र संख्या- पिकप/मेगा/1384 दिनांक 20-09-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 करोड (रू0 छः सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि रू0 1,25,13,31,991.00 (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ तेरह लाख इकत्तीस हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पिकप को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा शासनादेश संख्याः 3625/77-6-18-05(एम)/2013 टीसी(मेगा) दिनांक 17-09-2018 के अनुसार सर्वश्री श्री सीमेण्ट लि0, बुलन्दशहर, रिलायन्स सीमेण्ट कम्पनी प्रा0 लि0, रायबरेली, मेसर्स वरूण बेवरेजस लि. सण्डीला, हरदोई, मेसर्स पसवारा पेपर्स लि. मेरठ को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एन0ई0एफ0टी0/आर0 टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- इस संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 में प्रतिनिधानित शक्तियों के तहत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या:35/2018/3796(1)/77-6-18-5(बजट)/17तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक पिकप, लखनऊ को पिकप के पत्र संख्या पिकप/मेगा/1384 दिनांक 20-09-2018 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
9- नियोजन अनुभाग-1/4
10- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in